माननीय न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और माननीय न्यायाधीश कंवलजीत सिंह अहलूवालिया के समक्ष

अंजलि सिंधु और & अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य - प्रतिवादी

2008 की सीडब्ल्यूपी नंबर 12489

4 सितंबर, 2008

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226-मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश-काउंसलिंग शुरू होने से पहले एनआरआई उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण-प्रॉस्पेक्टस के खण्ड दो के अध्याय IV के, प्रावधान में है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के निर्णय के अधीन सीटें बढ़ाई या कम की जा सकती हैं - काउंसलिंग शुरू होने से पहले एनआरआई के लिए 5 सीटों का आरक्षण न तो प्रॉस्पेक्टस की शर्तों और न ही कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है - बी.सी. के लिए 27% आरक्षण निर्धारित करने की याचिका यह कहते हुए भी खारिज कर दी भी कि उच्च न्यायालय प्रॉस्पेक्टस की शर्तों को फिर से नहीं लिख सकता है ताकि बी.सी. के लिए सीटों के आरक्षण की अनुमति दी जा सके और अखिल भारतीय कोटा से में इस तरह का आरक्षण देने में सीटों की कुल संख्या को ध्यान रखकर - याचिकाएँ ख़ारिज कर दी गयीं।

अभिनिर्धारित, किया कि अध्याय 5 में नोट का आशय है कि आरक्षण नीति संशोधन के अधीन है या प्रवेश पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर राज्य सरकार का निर्णय है, लेकिन ऐसी आरक्षण नीति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार के आरक्षित सीटों के संबंध में है। एनआरआई उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन ऐसा आरक्षण 19 मार्च, 1999 को प्रसारित राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार नहीं है जैसा कि अध्याय V में उल्लिखित है, लेकिन **पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य,** 2005 (5) एसएलआर 409 (एससी), में दिए गए फैसले के मद्देनजर है, जिसमें सधभावि एनआरआई छात्रों के लिए 15% से अधिक सीटें आरक्षित करने की अनुमति नहीं दी गई है। यह अध्याय

IV की शर्तें हैं, जो काउंसलिंग शुरू होने से पहले सीटों की संख्या और सीटों के वितरण में बदलाव की अनुमति देती हैं। इसलिए, काउंसलिंग शुरू होने से पहले एनआरआई उम्मीदवारों के लिए 5 सीटें आरक्षित करना प्रॉस्पेक्टस की शर्तों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा 10)

इसके अलावा अभिनिर्धारित हैं कि, सीटों के आरक्षण और वितरण वाले प्रॉस्पेक्टस के अध्याय V में स्पष्ट रूप से 50% सीटों का प्रावधान है हरियाणा के सधभावि निवासियों के लिए, उसमें उल्लिखित तरीके से आरक्षित किया जाएगा। यह न्यायालय प्रॉस्पेक्टस की शर्तों को फिर से नहीं लिख सकता है ताकि अखिल भारतीय कोटा सीटों में इस तरह का आरक्षण देकर सीटों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की अनुमति दी जा सके। केंद्र सरकार ने, 10 मार्च, 2008 के परिपत्र के माध्यम से 15% अखिल भारतीय स्नातक कोटा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 15% सीटें आरक्षित की हैं। हम अखिल भारतीय कोटे के 15% में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू नहीं कर सकते हैं, न ही हम हरियाणा के सधभावि निवासियों के लिए पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण में बदलाव कर सकते हैं।

(पैरा 14)

याचिकाकर्ताओं के वकील, जगदीश मनचंदा।
एस.के.हुड्डा, सीनियर डीएजी, हरियाणा।
प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के लिए बलराम गुप्ता, वरिष्ठ वकील, और उनके साथ विक्रांत हुडा, अधिवक्ता।
राजीव आत्मा राम, वरिष्ठ अधिवक्ता, और उनके साथ बी.एन.एस.शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 7 के लिए।

(ii) **2008 का सीडब्ल्यूपी नंबर 15396**

ममता शर्मा और अन्य - याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील आर.के. मलिक और उनके साथ वकील परवीन रोहिल्ला।

एस.के.हुड्डा, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

बलराम गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, और उनके साथ विक्रांत हुडा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

(iii) 2008 का सीडब्ल्यूपी नंबर 12973

अरुणा और अन्य - याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के वकील जे.एस.यादव।

एस.के.हुड्डा, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

प्रतिवादी संख्या 3 और 5 के लिए बलराम गुप्ता, वरिष्ठ वकील, और उनके साथ विक्रांत हुडा, वकील।

हेमंत गुप्ता, न्यायाधीश

1. यह आदेश 2008 की सिविल रिट याचिका संख्या 12489 और 2008 की 15396 को प्रवृत्त करेगा, जिसमें अनिवासी भारतीय (एनआरआई) उम्मीदवारों के लिए 5 सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रश्न है। यह आदेश 2008 के सीडब्ल्यूपी नंबर 12973 का भी प्रवृत्त करेगा, जिसमें याचिकाकर्ता, एक पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग की है और जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की गणना कुल सीटों को ध्यान में रखते हुए अर्थात अखिल भारतीय आधार पर भरी जाने वाली 15% सीटों को शामिल करके की जानी है।

2. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक ने वर्ष 2008 के लिए हरियाणा राज्य में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल/डेंटल और आयुर्वेदिक कॉलेजों में एमबीबीएस/ बीडीएस/बीएएमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और परिणामों

की घोषणा के लिए एक प्रॉस्पेक्टस प्रकाशित किया, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 18 मार्च, 2008 के अनुसरण में।

3. इन रिट याचिकाओं में मुद्दा पंडित बी.डी. शर्मा, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (संक्षिप्त पीजीआईएमएस के लिए), जिसमें कुल उपलब्ध सीटें 150 हैं, में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों के संबंध में है। ऐसी 150 सीटों में से 15% सीटें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारत सरकार के एक नामांकित व्यक्ति द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जानी हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 जून, 2008 थी और प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई, 2008 को आयोजित की जानी थी। प्रॉस्पेक्टस के अध्याय-IV में, सीटों की संख्या और वितरण से संबंधित, निम्नलिखित खंडों का उल्लेख है :-

> " 1. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया/डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिलने के बाद ही सीटें भरी जाएंगी।
>
> 2. एम.सी.आई./डी.सी.आई./विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के निर्णय के अधीन सीटें बढ़ने या घटने की संभावना है।
>
> 3. सीटों का वितरण/आरक्षण कॉलेज-वार और पाठ्यक्रम-वार होगा।
>
> 4. पाठ्यक्रम में काउंसलिंग शुरू होने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा, सीटों का वितरण, कॉलेज/संस्थानों की संख्या/नाम बदला/जोड़ा जा सकता है।
>
> 5. उपरोक्त सीटों का वितरण राज्य सरकार की नीति के अनुसार बाद में अधिसूचित किया जाएगा।"

4. सीटों के आरक्षण और वितरण से संबंधित प्रॉस्पेक्टस के अध्याय-V में प्रावधान है कि हरियाणा के सधभावि निवासियों के लिए 50% सीटें, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग ब्लॉक ए और बी की श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगी। यह शर्त राज्य सरकार की दिनांक 19 मार्च, 1999 की आरक्षण नीति के संदर्भ में है। इसके साथ संलग्न नोट में कहा गया है कि आरक्षण नीति संशोधन/राज्य सरकार के निर्णय के अधीन है और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर जो लागू होगा, उसी का पालन होगा।

5. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 17 जून, 2008 थी, लेकिन एनआरआई उम्मीदवारों के लिए 5 सीटें 16 जुलाई, 2008 को आरक्षित की गई हैं (अनुलग्नक आर.3)। इसलिए, एनआरआई उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण, प्रॉस्पेक्टस के खंडों का उल्लंघन करता है और इस प्रकार, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान लागू नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, 5 सीटें, जो आरक्षित की गई हैं और ऐसे उन एनआरआई उम्मीदवारों द्वारा भरने पर विचार किया गया है, उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में से योग्यता के आधार पर भरा जाना आवश्यक है। इस प्रकार, ऐसी सीटें आरक्षित करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई अवैध, मनमानी और धारणीय नहीं हैं।

6. तर्क का दूसरा पहलू यह है कि एनआरआई उम्मीदवारों के लिए 5 सीटें आरक्षित करने से, 50% से अधिक सीटें किसी न किसी श्रेणी के लिए आरक्षित हो जाएंगी और इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ**[1] के फैसले के और इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के रूप में रिपोर्ट किया गया है, **आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[2] के मद्देनजर ऐसा आरक्षण स्वीकार्य नहीं है । निम्नलिखित निर्णय पर भी निर्भरता कि हैं, जो कि हैं , **डॉ. सुमन भास्कर बनाम हरियाणा राज्य**[3] ; **हरप्रीत सिंह रंधावा और अन्य बनाम पंजाब राज्य, मुख्य सचिव के माध्यम से और अन्य**[4]**, गुरलाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[5] **।**

7. दूसरी ओर, एनआरआई उम्मीदवारों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव आत्मा राम ने प्रॉस्पेक्टस के अध्याय-IV के खंड 2 और 4 पर भरोसा किया है, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, यह तर्क देने के लिए कि सीटों का वितरण काउंसलिंग की शुरुआतसे पहले से ही बदला जा सकता था और इस प्रकार, एनआरआई उम्मीदवारों के लिए सीटें वैध रूप से शुरू की जा सकती हैं। प्रॉस्पेक्टस के अध्याय-IV के खंड 2 पर निर्भरता की

---

[1] (1992)3 एससीसी 217

[2] 2007 (6) एसएलआर 837

[3] 1998 (3) आरएसजे 277

[4] 2000 (4) आरएसजे 666

[5] 1998 (3) आरएसजे 672

है, जिसका प्रभाव यह है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के निर्णय के अधीन सीटें बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। यह तर्क देने के लिए **राजीव कपूर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[6]**,** पर निर्भरता कि गयी की उचित मामलों में प्रॉस्पेक्टस की शर्तों को बदला जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 10 मार्च, 2008 (अनुलग्नक पी.2) के अनुसार, अखिल भारतीय कोटा एमबीबीएस/बीडीएस सीटों में आने वाली 15% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान की जाती हैं । यह तर्क भी दिया गया है कि अखिल भारतीय कोटा में आने वाली ऐसी 15% सीटें आरक्षण नहीं है, बल्कि प्रवेश का एक स्रोत है, जो हरियाणा के छात्रों सहित सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध है। इसलिए, आरक्षित श्रेणियों में आने वाली सीटों के निर्धारण के लिए 15% सीटों को बाहर नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, 150 सीटों में से 75 सीटें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरी जा सकती हैं, जबकि 85% श्रेणी की आरक्षित सीटें में से केवल 59 हैं और 23 सीटों में से 15% यानी (3.45 सीटें) अखिल भारतीय कोटा में आती हैं, जो कि 75 सीटों से कम है, तो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों में से भरने की अनुमति है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मलिक द्वारा संदर्भित निर्णय इस आशय के हैं कि प्रॉस्पेक्टस में प्रदान की गई शर्तों को बदला नहीं जा सकता है। लेकिन याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित मामलों में से कोई भी ऐसा मामला नहीं है, जिसमें काउंसलिंग की शुरुआत से पहले सीटों के वितरण में बदलाव की अनुमति देने वाली कोई शर्त हो। यह विवादित नहीं है कि 21 जुलाई, 2008 को काउंसलिंग शुरू होने से पहले एनआरआई उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित थीं। इसलिए, प्रॉस्पेक्टस की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार सीटों को फिर से वितरित करने के लिए सक्षम थी, खासकर जब यह प्रकाशित हुआ था राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार सीटें बढ़ने या घटने की संभावना है।

9. **राजीव कपूर के मामले (सुप्रा)** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, **अमर दीप सिंह सहोता बनाम पंजाब राज्य**[7]**,** में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर विचार किया, और अभिनिर्धारित किया कि प्रॉस्पेक्टस के साथ-साथ इस न्यायालय के आदेश को भी इस तरह

---

[6] एआईआर 2000 एससी 1476

[7] 1993 (2) पीएलआर 212 (एफ.बी.)

से समझा जाना चाहिए कि उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यताओं का उचित मूल्यांकन उनकी साख और सेवा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाए, न कि केवल विषयों के सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर, जैसा कि अन्य श्रेणियो के गैर-सेवा उम्मीदवारों के मामलों में होता है। न्यायालय ने पाया कि एचसीएमएस उम्मीदवारों की योग्यता को सरकारी आदेशों में दिखाए गए मानदंडों के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है, जो प्रॉस्पेक्टस में प्रकाशित मानदंडों से भिन्न थे।

10. हमने पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को कुछ और विस्तार से सुना है।अध्याय 5 में नोट का आशय है कि आरक्षण नीति संशोधन के अधीन है या प्रवेश पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर राज्य सरकार का निर्णय है, लेकिन ऐसी आरक्षण नीति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार के आरक्षित सीटों के संबंध में है। एनआरआई उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन ऐसा आरक्षण 19 मार्च, 1999 को प्रसारित राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार नहीं है जैसा कि अध्याय V में उल्लिखित है, लेकिन **पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य**[8], में दिए गए फैसले के मद्देनजर है, जिसमें सधभावि एनआरआई छात्रों के लिए 15% से अधिक सीटें आरक्षित करने की अनुमति नहीं दी गई है। यह अध्याय IV की शर्तें हैं, जो काउंसलिंग शुरू होने से पहले सीटों की संख्या और सीटों के वितरण में बदलाव की अनुमति देती हैं। इसलिए, काउंसलिंग शुरू होने से पहले एनआरआई उम्मीदवारों के लिए 5 सीटें आरक्षित करना प्रॉस्पेक्टस की शर्तों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। नतीजतन, हमें याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं मिली।

11. यह तर्क कि, एनआरआई उम्मीदवारों के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं, **इंद्रा साहनी के मामले** (सुप्रा) के साथ-साथ **आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के** मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले में प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन है, बिना किसी योग्यता के है।

12. केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय कोटा उम्मीदवारों के लिए आने वाली सीटों के संबंध में अनुसूचित जाति के लिए भी 15% सीटें आरक्षित की हैं। इस प्रकार, प्रवेश दो स्रोतों

---

[8] 2005 (5) एसएलआर 409 (एससी)

से होता है, एक तो अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर और दूसरा, हरियाणा के सधभावि निवासियों में से। आरक्षित श्रेणियों में आने वाली सीटों की संख्या की जांच हरियाणा के सधभावि निवासियों के कोटे में आने वाली सीटों में से नहीं, बल्कि एक शैक्षणिक संस्थान में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या से की जानी चाहिए। यह वर्टिकल आरक्षण की तरह है। जैसा की उपरोक्त हैं, पीजीआईएमएस में 150 सीटें उपलब्ध हैं और ऐसी 150 सीटों में से 75 सीटें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरी जानी आवश्यक हैं। इसमें अखिल भारतीय कोटा के उम्मीदवारों के साथ-साथ हरियाणा के सधभावि निवासी भी शामिल हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या (26+3) है; पिछड़ा वर्ग (24) ; एनआरआई उम्मीदवारों (5) और शारीरिक रूप से विकलांग (3) सीटें, यानी कुल 61। यह 75 सीटों से अधिक नहीं है। इसलिए, एनआरआई उम्मीदवारों के लिए 5 सीटों के आरक्षण को **इंद्रा साहनी के मामले (सुप्रा) और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के मामले (सुप्रा)** में निर्धारित नियम का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया विवाद बिना किसी योग्यता के है।

13. श्री जे.एस. द्वारा यादव, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने 2008 के सीडब्ल्यूपी नंबर 12973 , में प्रस्तुत किया गया एक और तर्क का परिक्षण करना चाहिए। श्री यादव ने तर्क दिया है कि कुल सीटों यानी 150 सीटों को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

14. उक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं है।सीटों के आरक्षण और वितरण वाले प्रॉस्पेक्टस के अध्याय V में स्पष्ट रूप से 50% सीटों का प्रावधान है हरियाणा के सधभावि निवासियों के लिए, उसमें उल्लिखित तरीके से आरक्षित किया जाएगा। यह न्यायालय प्रॉस्पेक्टस की शर्तों को फिर से नहीं लिख सकता है ताकि अखिल भारतीय कोटा सीटों में इस तरह का आरक्षण देकर सीटों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की अनुमति दी जा सके। केंद्र सरकार ने, 10 मार्च, 2008 (अनुलग्नक आर-2)के परिपत्र के माध्यम से 15% अखिल भारतीय स्नातक कोटा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 15% सीटें आरक्षित की हैं। हम अखिल भारतीय कोटे के 15% में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू नहीं कर सकते हैं, न ही हम हरियाणा के सधभावि निवासियों के लिए पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण में बदलाव कर सकते हैं।

15. उपरोक्त के मद्देनजर, सभी रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है। परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएँ लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़